

उत्तराखण्ड शासन
 औद्योगिक विकास अनुभाग-1
 संख्या: 199 / VII-1 / 2018 / 683 / 2018
 देहरादून दिनांक: 15 मई, 2018
 आशय पत्र (Letter of Intent)

अधिसूचना संख्या-1582 / VII-1 / 2017 / 31 ख / 17, दिनांक 31 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रावधानानुसार जनपद व तहसील नैनीताल के ग्राम भीर्सा क्षेत्रान्तर्गत 6.00 हेक्टेयर (राजरव क्षेत्र) में उपलब्ध उपखनिज (बालू, बजरी एवं बोल्टर) को ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से आवंटन हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा प्रकाशित आमंत्रण प्रपत्र संख्या-001 Nainital Bhaursha Nainital 6.00ha/ भूखनि0ई0/ई0निवि0सहई0नीला0/ 2017-18, दिनांक 10 जनवरी, 2018 के क्रम में उक्त नियमावली, 2017 के नियम 27 ग (द्वितीय चरण) के उपनियम 5 के प्रावधानानुसार श्री सत्येन्द्र कुमार तोमर पुत्र श्री तेज सिंह तोमर, निवासी ग्राम बनोरी तल्ली खाम, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल (पंजीकरण सं० M171228140912340) को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली रु० 5,020,9500.00 (रु० पांच करोड़ बीस लाख नौ हजार पांच सौ मात्र) के आधार पर B2 घोषित किया गया है।

2 श्री सत्येन्द्र कुमार तोमर को उक्त नियमावली के नियम 28.क के उपनियम 2 के अनुसार बोली गयी अधिकतम उच्चतम बोली रु० 5,020,9500.00 (रु० पांच करोड़ बीस लाख नौ हजार पांच सौ मात्र) का दस प्रतिशत धनराशि अर्थात् रु० 50,20,950.00 (रु० पचास लाख बीस हजार नौ सौ पचास मात्र) जमा किये जाने, विभागीय वेबसाइट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अनिलेखों की मूल प्रतियों सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, देहरादून में जमा करने के उपरान्त सफल बोलीदाता घोषित माना गया है। उक्त नियमावली के नियम 28.क के उपनियम-3 के अनुसार श्री सत्येन्द्र कुमार तोमर द्वारा उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि अर्थात् रु० 50,20,950.00 (रु० पचास लाख बीस हजार नौ सौ पचास मात्र) निर्धारित विभागीय लेखाशीर्षक में जमा करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक माने जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के प्रावधानानुसार श्री सत्येन्द्र कुमार तोमर पुत्र श्री तेज सिंह तोमर, निवासी ग्राम बनोरी तल्ली खाम, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल के पक्ष में जनपद व तहसील नैनीताल के ग्राम भीर्सा क्षेत्रान्तर्गत 6.00 हे० में उपखनिज के चुगान/खनन हेतु 05 वर्ष की अवधि हेतु चुगान/खनन पट्टा स्वीकृत किये जाने हेतु 06 माह की अवधि हेतु आशय पत्र (Letter of Intent) निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है :-

(1) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा आशय पत्र में स्वीकृत क्षेत्र का उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2001 के नियम-17 के प्रावधानानुसार सीमाबन्धन कराये जाने, खनन योजना अनुमोदित कराये जाने एवं पर्यावरणीय अनुमति प्राप्ति किये जाने की कार्यवाही 06 (छ) माह के अन्तर्गत सम्पादित की जायेगी।

(2) आशय पत्र निर्गत होने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा अधिकतम वार्षिक ई-नीलामी बोली का पच्चीस प्रतिशत धनराशि रु० 1,25,52,375.00 (रु० एक करोड़ पच्चीस लाख बावन हजार तीन सौ पचहत्तर मात्र) धरोहर धनराशि (Security Money) समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराये जाने हेतु आशय पत्र में निर्धारित समयावधि के लिए बैंक गारन्टी के रूप में निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत बन्धक करायी जायेगी। धरोहर धनराशि जमा करने बाद प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा जमा की गई प्री-बिड जर्नल मनी वापस कर दी जायेगी। बैंक गारन्टी की स्कैन कॉपी सात कार्य दिवसों के अन्तर्गत विभागीय वेबसाइट पर लॉग इन कर प्रेषित की जानी आवश्यक होगी तथा मूल प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में जमा करायी जानी होगी। यदि निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं होती हैं या अपेक्षित समयवृद्धि राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जाती है तो जमा बैंक गारन्टी की धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

(3) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को खनन योजना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा अधिकृत Registered Qualified personnel (RQP) से तैयार कराये गए निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई से अनुमोदित कक्षयी जानी होगी, जिसमें निवासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा तथा उक्त खनिज का तकनीकी एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से खनन संकियायें संचालित किये जाने की विधि का वर्णन लिखित होगा। खनन योजना में खनन क्षेत्र के डी0जी0पी0एस0 कोर्डिनेटस का वर्णन व जिओरिफरेंसस खसरा मानचित्र पर अंकन किया जाना होगा तथा खनन क्षेत्र में समाहित तथा स्थिति राजस्व भूमि, वन भूमि व निजी नाप भूमि के स्वामियों का क्षेत्रफलवार राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित वर्णन, सलग्न किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त 100 मीटर की परिधि में आने वाली सभी सार्वजनिक स्थलों, समीपस्थ पुलों को प्रदर्शित करता 1:10,000 का सैटेलाइट मानचित्र संलग्न करना होगा, जिसमें नदी की अद्यतन सीमा स्पष्ट रूप से चिह्नित हो तथा नदी

किये जाने हेतु ऑन लाईन अवकाश कागजात व्यवस्था। प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा किये गए कार्रवाहों का निराकरण ऑन लाईन किये जाने की व्यवस्था। निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को ऑन लाईन स्वतंत्रता पर राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे के आशय पत्र में स्वीकृत किए जाने से संबंधित कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति सम्बन्धी आदेश ऑन लाईन विनिर्दिष्ट किये जा सकेंगे।

- (13) खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी आदेश जारी होने के उपरान्त Performance Guarantee कार्यालय स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु अधिकतम वार्षिक ई-नीलामी बोली की धनराशि का पट्टीस प्रतिष्ठा, विनिर्दिष्ट विभागीय मैनेजमेंट गेटवे के द्वारा सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा किया जायेगा। वार्षिक नीलामी धनराशि का पट्टीस प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप में जमा की जायेगी, जिसका उपयोग पट्टे के अंतिम वर्ष में उपखनिज निकासी मात्रा के सापेक्ष किया जायेगा। Performance Guarantee जमा किये जाने के बाद आशय पत्र निर्गत किये जाने के समय जमा कराई गई धनराशि बैंक गारन्टी) अवशुद्ध कर दी जायेगी।
- (14) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा सात कार्य दिवसों के अन्तर्गत पट्टा विलेख तैयार कर ऑन लाईन प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को प्रेषित किया जा सकेगा, जिसकी सूचना जनपद एवं शासन के नग्नित नोडल अधिकारी को भी ऑन लाईन होगी। प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा पट्टा विलेख प्रारूप को डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रतियां जिलाधिकारी, नैनीताल को हस्ताक्षर किये जाने हेतु सम्बन्धित जनपद के विभागीय अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। विभागीय अधिकारी नैनीताल द्वारा हस्ताक्षर के उपरान्त जिलाधिकारी, नैनीताल को दो कार्य दिवसों के अन्तर्गत प्रस्तुत की जा सकेंगी। जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा आवश्यक रूप से सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत पट्टा विलेख हस्ताक्षरित कर पट्टाधारक को उपलब्ध करादी जा सकेंगी।
- (15) पट्टे की अवधि की सगणना आशय पत्र निर्गत होने की तिथि से की जायेगी।
- (16) आशय पत्र पर स्वीकृत खनिज लॉट का सीमांकन, खसरा विवरण एवं पीलरबन्दी की कार्यवाही-सीमांकन शुल्क नियम-17 के अनुसार, सीमास्तम्भ (साईज-05 फिट जमीन के ऊपर तथा 03 फिट जमीन के नीचे, जो 2 X 2 फिट की चौड़ाई 10पीएमएस0 सिडिंग सहित) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा स्वयं के व्यय से निर्मित किये जायेंगे।
- (17) पट्टा विलेख के निष्पादन व पंजीकरण के दिनांक से खनन सक्रियता प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन सक्रियता का सञ्चालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भांति करेगा।
- (18) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा विभिन्न स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण न किये जाने की दशा में यह माना जायेगा कि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक पट्टा लेने की मंशा नहीं रखता है तथा इस स्थिति में आशय पत्र निरस्त करते हुए पूर्व के समस्त जमा अग्रिम धनराशि एवं बैंक गारन्टी आदि जब्त कर राज्य सरकार के पक्ष में सम्हालित कर दिया जायेगा। ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिस स्तर पर कार्यवाही रुकी हो, उससे अग्रेत्तर कार्यवाही के सम्बन्ध में अथवा पुनः विज्ञापित किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- (19) उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली (संशोधित), 2017 के नियम 29(क)(1) स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत उपखनिज घुगान कार्य अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई अथवा भू-जल स्तर, जो भी कम हो, तक किया जायेगा।

आनन्द बर्दान
प्रमुख सचिव

संख्या: ३९९ (1)/VII-I/2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, नैनीताल।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र सं०-3223/ई०-निवि०सहई-नीला०/भू०खनि०ई०/भौसा/2017-18, दिनांक 28 मार्च, 2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. श्री सत्येन्द्र कुमार तोमर पुत्र श्री तेज सिंह तोमर, ग्राम बमोरी तल्लीखाम, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल
4. गार्ड फाईल।



संयुक्त सीमाबन्धन आख्या

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास अनुभाग-1 देहरादून के आशय पत्र संख्या 799/VII-1/2018/6-ख/ 2018 दिनांक 15 मई 2018 के द्वारा आवेदक श्री सत्येन्द्र कुमार तोमर पुत्र श्री तेज सिंह तोमर निवासी ग्राम बभौरी तल्ली खाम तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल के पक्ष में तहसील व जनपद नैनीताल के ग्राम चौसा में राजस्व अभिलेखानुसार खसरा संख्या 2519 अ कुल रकबा 31.865 हेक्टेयर गये 6.00 हे० राजस्व भूमि में उपखनिज (रेता, बजरी, बोल्टर, आर०बी०ए०पी०) के खनन कार्य हेतु 05 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है। उक्त आशय पत्र के क्रम में जिलाधिकारी महोदय के पत्र संख्या: 1046/30-जी०सी०/2017-18 दिनांक 18.06.2018 के अनुपालन में उपनिदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी के पत्र संख्या 531/भू०खनि०इ०/ख०प०/2017-18 दिनांक 19 जुलाई 2018 के द्वारा संयुक्त सीमांकन की तिथि 21.07.2018 को निर्धारित की गयी थी, जिसके अनुपालन में प्रश्नगत क्षेत्र का सीमाबन्धन भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, नैनीताल स्थित हल्द्वानी के अधिकारी/कर्मचारियों एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आवेदक की उपस्थिति में किया गया। मौके पर राजस्व उपनिरीक्षक के द्वारा दिखाये एवं बताये गये सन्दर्भ बिन्दु (खसरा संख्या 2523 मोटर मार्ग से गोला नदी को जाने वाले रास्ता) के आधार पर सीमाबन्धन किया गया। सार्वजनिक भवन, नहर, सड़क, पुल व वन क्षेत्र आदि से नियमानुसार दूरी छोड़ते हुये स्वीकृत क्षेत्र 6.00 हेक्टेयर भूमि चुगान/खनन कार्य हेतु उपयुक्त पायी गयी, जिसे मानचित्र पर हरे रंग से दर्शाया गया है।

आवेदक को मौके पर ही सीमाबन्धित किये गये क्षेत्र की सीमाएँ एवं पिलर स्तम्भ दिखाये गये, जिस पर मौके पर ही पट्टेधारक द्वारा सीमा स्तम्भ (कंकीट पिलर) लगा दिये गये हैं।

सीमाबन्धित क्षेत्र की चौहद्दी:-

क्षेत्र के उत्तर में- पिलर संख्या: A,B,C एवं कुमाऊ मण्डल विकास निगम को स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र।

क्षेत्र के दक्षिण में- पिलर संख्या: H,I,J,K,L तत्पश्चात गोला नदी क्षेत्र।

क्षेत्र के पूर्व में - पिलर संख्या: M,N,Q,R,S,T,U,V तत्पश्चात गोला नदी एवं जमरानी मोटर मार्ग।

क्षेत्र के पश्चिम में-पिलर संख्या: C,D,E,F,G,H तत्पश्चात ग्राम रौशिल की भूमि।



(Signature)
सर्वेक्षक
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,

उपरोक्त सीमाबन्धन से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। मेरे पक्ष में 6.00 हेक्टेयर स्वीकृत राजस्व भूमि में सीमाबन्धन के चुगान/खनन हेतु उपयुक्त पायी गयी, जिससे मैं सहमत हूँ।



(Signature)
पट्टेधारक